

विभाग/कार्यालय/उपक्रम का नाम :- संचालनालय मत्स्योद्योग मध्यप्रदेश ।	
विभाग का नाम: म.प्र. शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास, विभाग ।	
योजना का नाम: ताजा जल, जलकृषि विकास (मत्स्य कृषक विकास अभिकरण )	
स्कीम नं. 0702	
1	योजना का नाम, उपयोजनाओं (यदि कोई हो तो) के नाम सहित (यदि लागू हो तो कृपया निम्नांकित जानकारी उपयोजनावार प्रेषित की जावे)
	ताजा जल, जलकृषि विकास (मत्स्य कृषक विकास अभिकरण )
	क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रवर्तित है ।
	<b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना है ।</b>
3	राज्य शासन के स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग
	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग (मत्स्योद्योग विभाग )
	जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग
	मत्स्य कृषक विकास अभिकरण जिलों में पंजीकृत संस्था है, इसके अध्यक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत है, जो जिलों में सहायक संचालक मत्स्योद्योग कार्यालय में सेल के रूप में कार्य करती है। तथा सहायक संचालक मत्स्योद्योग इसके अधिकारी होते है ।
5	योजना का उद्देश्य
	मत्स्य कृषक विकास अभिकरण के उद्देश्य निम्नानुसार है :- 1. ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को हितग्राही बनाकर उन्हें ग्रामीण तालाब 10 वर्षीय पट्टे पर उपलब्ध कराकर तथा मछली पालन के स्वरोजगार के साधन उन्हें उपलब्ध कराकर उनकी आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति करना ।
6	क्या योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है, यदि नहीं तो कृपया उन क्षेत्रों/ जिलों/ विकासखण्डों
	यह योजना प्रदेश के समस्त जिलों में क्रियान्वित की जा रही है ।

	के नाम दर्शाये जाये जहां पर योजना क्रियान्वित	
7	किस प्रकार हितग्राही योजना अंतर्गत सम्मिलित किये गये है । (लघु कृषक/सीमांतकृषक/अन्य कृषक/अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/पुरुष/महिला आदि	मत्स्य कृषक विकास अभिकरण योजनान्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं, को हितग्राही बनाया जाता है ।
8	हितग्राहियों के लिये पात्रता मानदंड यदि कोई हो तो	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, को हितग्राही बनाया जाता है । इसके लिये निर्धारित प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार है :- 1. वंशानुगत मछुआ जाति/अनु. जनजाति/अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग/ सामान्य वर्ग की पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति 2. वंशानुगत मछुआ जाति/अनु. जनजाति/अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग/सामान्य वर्ग के स्व-सहायता समूह/मछुआ समूह 3. वंशानुगत मछुआ जाति/अनु. जनजाति/अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग/सामान्य वर्ग का व्यक्ति विशेष ।
9	क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर अथवा व्यक्तिगत एवं समूह दोनो स्तर पर दी जाती है।	सभी श्रेणी के मत्स्य पालकों को केवल एक बार ही सहायता (अनुदान) देने का प्रावधान है ।
10	प्रदान की जा रही अनुदान विषयक विवरण (यदि अनुदान की राशि हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिये अलग-अलग जानकारी प्रस्तुत की जावे) दर (प्रतिशत)	भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग) कृषि भवन नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 31013/1/2007 मात्स्यिकी (3) दिनांक 5 अगस्त 2014 की छाया प्रति संलग्न है, इसके परिशिष्ट-1 में निर्धारित दरों अनुसार ही मत्स्य कृषक विकास अभिकरण योजनान्तर्गत विभिन्न आयटमों में हितग्राहियों को अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाती है । अनुदान राशि के

	न्यूनतम/ अधिकतम भारत सरकार का अंशदान राज्य सरकार का अंशदान	कुल व्यय का 75 प्रतिशत भार, भारत सरकार द्वारा तथा 25 प्रतिशत भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है ।
11	क्या अनुदान के अतिरिक्त हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देने का प्रावधान है ? यदि हाँ तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिये जानकारी प्रस्तुत की जावे	मत्स्य कृषक विकास अभिकरण योजनान्तर्गत मार्जिन मनी देने का कोई प्रावधान नहीं है ।
12	किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ योजना अंतर्गत अपेक्षित है	ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को हितग्राही बनाकर उन्हें ग्रामीण तालाब 10 वर्षीय पट्टे पर उपलब्ध कराना तथा मछली पालन के स्वरोजगार के साधन एवं ऋण तथा अनुदान उपलब्ध कराकर उनकी आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति करना ।
13	क्या व्यक्तिगत हितग्राही/समूह के लिये कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गई है, यदि हां, तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करे।	उपरोक्त बिन्दु क्र10 के संबंध में भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग ) कृषि भवन, नई दिल्ली के पत्र क्र. 31013/1/2007 मात्स्यकी (3) दिनांक 5 अगस्त 2014 में सभी प्रकार के हितग्राहियों के लिये कुल लागत की निर्धारित सीमा दी गयी है । कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें ।
14	क्या योजना अंतर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है,	हाँ ।
15	क्या हितग्राहियों के उपयोग के लिये राज्य शासन द्वारा परियोजना रूपरेखायें (प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स) तैयार कर लिये गये है	मत्स्य कृषक विकास अभिकरण एक केन्द्र प्रवर्तित योजना के रूप में कार्यरत है भारत सरकार के परिपत्र (उपरोक्त बिन्दु क्र. 13 में उल्लेखित ) अनुसार अनुदान राशि दी जाती है ।
16	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो	निरंक